रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGD. No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]	दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2014/पौष 10, 1936	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 168
No. 169]	DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2014/PAUSA 10, 1936	[N.C.T.D. No. 168

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य सुरक्षा विभाग
अधिसूचना

दिल्ली 31 दिसम्बर, 2014

सं. फा. 7(189)/12/डीओएफएस/प्रशा./9317–9326.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59–एचआईएम(I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण निदेशालय में, सरकारी विश्लेषक के पद से संबंधित भर्ती नियमों की दिनांक 07 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या फा. 4(96)/04/पीएफए/प्रशा. के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाये जाने के लिये की जाने वाली बातों को छोडकर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **खाद्य विश्लेषक** के पद के लिये भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :–(i) इन नियमों को खाद्य सुरक्षा विभाग, **खाद्य विश्लेषक** भर्ती नियमावली, 2014 कहा जाएगा।

   (ii) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :– उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण, पे बैंड, ग्रेड पे, तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यता इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– ऐसा कोई भी व्यक्ति—

   (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

   (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचावः**–इन नियमों की किसी भी बात का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे–बैंड तथा ग्रेड–पे/वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
खाद्य विश्लेषक	01* (2014) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय	पीबी–3, 15600--39100 रुपये (ग्रेड पे 6600 रुपये)	लागू नहीं	40 वर्ष से अधिक नहीं	(i) विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी खाद्य एवं पोषाहार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक अथवा डेयरी/तेल प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि धारक अथवा पशु चिकित्सा आयुर्विज्ञान में डिग्री धारक या रसायनिक संस्था (भारत) द्वारा आयोजित खाद्य विश्लेषण अनुभाग में परीक्षा द्वारा रसायन संस्थान (भारत) का कोई एसोसिएट है तथा खाद्य विश्लेषण में पाँच वर्ष से कम का अनुभव न हो, तथा (ii) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त और अधिसूचित किसी बोर्ड द्वारा खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिये योग्य घोषित हो। उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी-- (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत गठित बोर्ड द्वारा जन विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिये योग्य घोषित कोई व्यक्ति खाद्य विश्लेषक के पद को धारण करने के लिये पात्र होगा। (ख) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर कोई व्यक्ति जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अन्तर्गत जन विश्लेषक है खाद्य विश्लेषक का पद धारण कर सकता है। बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति पर सेवा के निबंधन एवं शर्तें लागू होंगी।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु–सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेषन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिषत	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेषन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेषन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
8	9	10	11	12	13
आयुः नहीं योग्यताएंः हा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए एक वर्ष	मिश्रित पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति जमा पदोन्नति)	मिश्रित पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति जमा पदोन्नति)	"क" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के लिये) के नामित सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से

	तथा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों के लिये दो वर्ष		(1) केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकारी (क)(1) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन समूह–3 में 15600–39,100रु., ग्रेड पे 5400/–रु. सहित अथवा समकक्ष, में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित (ख) कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले (2) वेतन समूह–2 9300–34800/–रुपये जमा ग्रेड पे 4600/–रुपये में सात वर्ष की नियमित सेवा सहित विभागीय उप–खाद्य विश्लेषक भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचारणीय होंगे तथा पद पर नियुक्ति के लिये चयन की स्थिति में, उसे पदोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा। (भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्तिं पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे)। (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।	हैं: 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. संबंधित सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष जबकि वह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो – सदस्य	परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

सुषमा सिंह, उप–सचिव (स्वा. एवं परि. कल्या.)